

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (याँ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

विषय :-

राँची, दिनांक 21.5.12

वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम
सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन,
उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु
निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित
किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	8.590

कुल आवंटित राशि -

रुपये आठ लाख उन्सठ हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 5631.15 लाख (छप्पन करोड़ एकतीस लाख पंद्रह हजार) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.(अनुराधा मजुमदार)
उप सचिव (अभि.)(एस०के० सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

18

रॉंची, दिनांक :- 21.5.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरंडा/मेदिनीनगर/गढ़वा/हजारीबाग/चाईबासा/गिरीडीह/देवघर/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

18

रॉंची, दिनांक :- 21.5.12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत) (एस० के० सिन्हा)
सहा. अभि. संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-खेतीजमात पां. सं. ॥

पत्रांक 18 दिनांक 21.5.12 का अगलमक

३३॥सिन / उप शाख-०६-छाटानापुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

(सुरक्षा प्रसाद भाग)

பெரிய நகரம்
புதுச்சேரி

(सुबोध कुमार सिन्हा)

श्री ०३३

(५५० को शास्त्र)

(एनो दो शिवा)

प्रा

वित्तीय वर्ष 2012-2013			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते					विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम		वेतन	जी० यापन भत्ता	योग	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बंदी	विद्युत व्यय	इंधन एवं मोटरगाड़ियां	अन्य व्यय	विविध प्रकार	कुल योग	अभियुक्ति							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
30	सिवाई प्रमंडल, बुंदू	पूर्व का आवंटन	96.000	58.000	154.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	154.100								
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250								
		कुल आवंटन	96.000	58.000	154.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	154.350								
31	सिवाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) सिविल मेडिसीन	पूर्व का आवंटन	48.000	28.000	76.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	76.100								
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250								
		कुल आवंटन	48.000	28.000	76.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	76.350								
	अतिरिक्त आवंटन का योग	0.000	0.000	0.000	0.000	6.600	0.000	0.000	0.000	0.000	1.190	0.000	0.000	0.000	0.800	8.590									
नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया भत्ता मानने का क्र० 10/वि० 10/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद																									

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि- रुपये आठ लाख उन्सठ हजार मात्र

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(अमरेंद्र प्रहल्लाद)
उपसचिव (अभिन.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

18
21.5.12